नर्मदा समाचार

अंक 25 जून-जुलाई-अगस्त 1999

- भोपाल में धरना, उपवास : आगे के कदम
- सत्याग्रह का एक माह
- जल समर्पण : बुनियादी मुद्दे
- बढ़ता समर्थन
- साझा संघर्ष की तैयारी

भोपाल में धरना, उपवास: आगे के कदम

पिछले दिनों अप्रैल-मई 1999 में नर्मदा घाटी में बनने वाले महेश्वर, मान, अपर वेदा, बरगी, लोअर गोई, नर्मदा सागर जैसे बड़े बांधों से विस्थापित हो गए या होने वाले सैकड़ों किसानों-मजदूरों-केवटों-कहारों ने भोपाल में अपनी मांगों को लेकर एक कड़ा संघर्ष किया। तपती धूप और लू के थपेड़ों के बीच उन्होंने भोपाल की सड़कों पर डेरा डाला और अपने जीवन व जीविका के सवालों पर 26 दिनों की लम्बी और कड़ी लड़ाई लड़ी। इसी दौरान कुछ बांध प्रभावित साथी और कार्यकताओं ने 21 दिन तक उपवास भी किया। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सत्याग्रह भी प्रशासन की आंखों की किरकिरी बन गया और सरकार ने लोगों की जायज मांगों को अस्वीकार करते हुए उन्हें जबरन खदेड़ने का प्रयास किया तब धरने और अनशन पर बैठे साथियों ने दो बार पुलिस दमन को सहन किया लेकिन अपना संघर्ष जारी रखा। इस पूरे धरने के दौरान म.प्र. के विभिन्न स्थानों के जन संगठनों, श्रमिक संगठनों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों व सरोकार रखने वाले व्यक्तियों का बहुत समर्थन मिला।

विदेशी कम्पनियों को भगाया

इस लम्बे और दृढ़ संघर्ष के कारण नर्मदा घाटी के लोगों को अनेक महत्वपूर्ण जीतें हासिल हुई हैं। लोगों के जुझारूपन तथा उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों की सत्यता के कारण 2 जर्मन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों- वी.ई.डब्ल्यू. इनर्जी तथा बेयर्नवर्क - को महेश्वर परियोजना से अपने हाथ वापस खींचने पड़े। इन दोनों कम्पनियों का परियोजना में 49 प्रतिशत हिस्सा था।

जनता के संघर्ष से सरकार को झुकना पड़ा

लोगों के कड़े संकल्प और निश्चय के सामने सरकार को झुकना पड़ा व कई अहम् मुद्दों पर सरकारी आदेश पारित करने पड़े।

- 10 साल पहले उजाड़े गये बरगी बांध प्रभावितों के लिए नदी किनारे की 'तलक' जमीन पर पट्टे तथा सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने हेतु मंत्रिमंडल का निर्णय लिया गया।
- विशालकाय और महाविनाशकारी नर्मदा सागर परियोजना में डूब बढ़ाने वाले कार्यों को रोककर परियोजना की समीक्षा 31 अक्टूबर 1999 तक की जायेगी। यह समीक्षा म.प्र. सरकार द्वारा नये न्यायाधिकरण की मांगों के संदर्भ में की जायेगी तथा इसमें परियोजना प्रभावित एवं जन आंदोलन के सदस्य एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- नर्मदा की सहायक नदियां - गोई और वेदा - जिन पर प्रस्तावित बड़े बांधों के स्थान पर इन बांधों के लाभ क्षेत्रों में, नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों द्वारा विकेन्द्रिकृत ऊर्जा और सिंचाई के विकल्पों की 6 महीनों के अन्दर योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार तथा आन्दोलन संयुक्त रूप से इस योजना को क्षेत्र के 20 गांवों में लागू करेंगे।
- निर्माणाधीन मान और जोबट परियोजनाओं में डूब बढ़ाने वाले निर्माणकार्यों को रोका जायेगा तथा प्रभावित लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक पुनर्वास आयोजन समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति का कार्य डूब के पहले ही नीति अनुसार पुनर्वास करना है।
- नर्मदा घाटी में बढ़ती भूकम्पीय गतिविधियों के संदर्भ में बड़े बांधों से उत्पन्न होने वाले खतरों की पुनर्समीक्षा की जायेगी।

- प्रदेश की सभी सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में विस्थापितों को भूमि के बदले लाभ-क्षेत्र में सिंचित जमीन प्रदान करने वाला सन् 1985 का अधिनियम लागू किया जायेगा।
- पुनर्वास नीति में प्रभावितों को बर्बाद करने वाले नगद मुआवजे के प्रावधान की जांच करके बदलने का निर्णय 2 माह में लिया जायेगा।

उपरोक्त मुद्दों पर संघर्ष के बाद कुछ आदेश हाथ में आये हैं। लेकिन यह मात्र एक शुरूआत है। आज हमारे सामने एक चुनौती है कि नर्मदा सागर की समीक्षा ईमानदारी और व्यापकता से की जाए, कि मान और जोबट परियोजनाओं का पुनर्वास आयोजन न्यायसंगत और प्रभावितों की इच्छाओं के अनुरूप हो और गोई व वेदा परियोजनाओं के लाभ क्षेत्रों में पानी और ऊर्जा के विकल्पों के निर्माण का कार्य किस तरह से किया जाए ताकि नर्मदा घाटी के जल, जंगल, जमीन का उपयोग घाटी का विनाश किए बिना लोगों की जरूरतों की पूर्ति के लिए किया जाए।

सरकार महेश्वर परियोजना पर खामोश रही : जनता ने पूरी लड़ाई लड़ने की ठानी

नर्मदा घाटी के विभिन्न बड़े बांधों के प्रभावितों के इस साझा संघर्ष की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख मांग है कि म.प्र सरकार द्वारा गठित 'टास्क फोर्स' की महेश्वर परियोजना संबंधी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए। अक्टूबर 1998 में टास्क फोर्स के प्रकाशित प्रतिवेदन में उन्होंने सिफारिश की थी कि महेश्वर परियोजना के निर्माणकार्य को तत्काल रोककर पहले उसके लाभ हानि की जांच करके परियोजना की लाभदायकता सिद्ध की जाये। लेकिन बांध का काम रोककर महेश्वर परियोजना की लाभदायकता की जांच करने में म.प्र. सरकार घबरा गई क्योंकि उसे मालूम था कि जांच से यह साबित हो जायेगा कि इस परियोजना से अत्यन्त महंगी बिजली (8-10 रुपये/युनिट) का उत्पादन होगा। इतनी महंगी बिजली आम प्रदेशवासी के घर में अंधेरा करेगी, खेतों को सुखायेगी, बिजली पर निर्भर स्वरोजगार वाले बुनकर व अन्य कारीगरों को बेरोजगार कर लघु उद्योगों को बन्द कर देगी। फिर भी महेश्वर परियोजना के संबंध में लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई और प्रभावित लोगों ने यह संकल्प लिया है कि वे बिजली और विकास के नाम पर इस धांधली को प्रदेश की जनता के सामने ले जाएंगे और इस विनाशकारी महेश्वर बांध को रोककर ही रहेंगे। चूंकि सरकार टास्क फोर्स रिपोर्ट के अनुसार महेश्वर परियोजना की जांच करने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए न.ब.आ. ने स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर टास्क फोर्स की अनुसंशाओं के अनुसार जांच करने हेतु निमंत्रित किया है। इसमें शामिल हैं श्री एस.पी. शुक्ला, पूर्व सदस्य योजना आयोग, श्री विजय परांजपे, अर्थशास्त्री एवं बाँधों के मुद्दों पर अनुभवी एवं श्री गिरीश सन्त, ऊर्जा विशेषज्ञ तथा सदस्य, सलाहकार समिति, केन्द्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण। इसके अलावा कुछ अन्य जाने माने विशेषज्ञों के भी इस समिति के साथ जुड़ने की संभावना है।

समर्थन की ताकत

भोपाल के संघर्ष से हमारी सबसे मूल्यवान उपलब्धि जन समर्थन है। मुलताई, बैतूल, सागर, रतलाम, होशंगाबाद, केसला, ग्वालियर, भोपाल और प्रदेश के हर कोने से आये किसान-मजदूर, जुझारू साथी, संस्कृतिकर्मी और जनसंगठन, हमारा साथ देने। बैंक युनियन, बीमा युनियन, बी.एच.ई.एल. युनियन, रेल्वे युनियन, डाक-तार युनियन, विद्युत कर्मचारी युनियन, केन्द्रीय श्रमिक संगठन... हर लड़ाकू साथी बैठे हमारे साथ धरने पर। हमारे समर्थन में बार बार कार्यक्रम करके हमारे हौसले बुलन्द किये। भोपाल के कलाकारों ने पोस्टर प्रदर्शनी, कविता पाठ व गोष्ठियों का आयोजन कर आंदोलन के मुद्दों को जन-जन तक पहुँचाने में मदद की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जैसी राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ उपवास में भी शामिल हुए। उधर अपनी लड़ाई की खबर से 27 देशों के 150 नागरिक संगठनों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए संकल्प लिया कि वे अपने देशों के धन को महेश्वर परियोजना में नहीं लगने देंगे।

नर्मदा आन्दोलन के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है कि श्रमिक संगठनों का इतना सतत् समर्थन मिल रहा है। इसका कारण निजीकरण का साझा सवाल भी है। और यह एहसास भी है कि नई आर्थिक नीतियों के इस दौर में एक होकर लड़ना पड़ेगा। म.प्र. के श्रमिक संगठनों ने यह जिम्मेदारी ली है कि वे महेश्वर के निजीकरण और धांधली की लड़ाई को एक राज्य स्तर के अभियान तक ले जायेंगे। भोपाल में सभी बांध प्रभावितों के साझे संघर्ष के माध्यम से जनमानस में यह बात भी स्पष्ट हुई है कि आज नर्मदा बचाओ आंदोलन की लड़ाई सरदार सरोवर से बढ़कर समूची नर्मदा घाटी की लड़ाई बन गई है।

आगे की दिशा, कार्यक्रम चुनौतियां

आज आंदोलन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं

नर्मदा घाटी में अलग-अलग बांध प्रभावितों की लड़ाई को किस तरह मजबूत, समन्वयित और शृंखलाबद्ध बनाया जाये? डूब प्रभावितों के संघर्ष के साथ ही घाटी के अन्य लोगों को एक व्यापक जननीति में कैसे जोड़ा जाये? नर्मदा बचाओ आन्दोलन की अब तक की लड़ाई में मानव और मानव तथा मानव और प्रकृति के मध्य अंतर्संबंध और जुड़ाव की जो बात उठाई गई है, उसे समूची नर्मदा घाटी में व नर्मदा घाटी के लिए कैसे उभारा जाये? इस उभार में जहां एक तरफ पूरी घाटी में संसाधनों के उपयोग और विकास के रास्ते पर एक बड़ी बहस चलनी चाहिये, वहीं घाटी के जल, जंगल, जमीन से गैर विनाशकारी, पर्यावरण मित्र, टिकाऊ विकल्पों का वास्तविक निर्माण करना होगा। साथ ही किसान-आदिवासी-मजदूरों के भी जीने के अधिकार का सवाल पूरी घाटी के स्तर पर उठाना है। वैश्विकरण और नई आर्थिक नीतियों के इस दौर में अपने ही आंगन में आये महेश्वर बांध का मुद्दा यह सवाल उठाता है कि निजी उद्योगपति तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूट-खसोट के प्रयास से नर्मदा घाटी को कैसे बचाया जाये? घाटी के बाहर भी प्रदेश और देश में इन मुद्दों पर जन चेतना और जन संघर्षों को कैसे बढ़ाया जाये?

महेश्वर बांध: संघर्ष जारी है...

भोपाल के कड़े संघर्ष से लौटने के बाद अपने संकल्प की आवाज़ को बुलंद करने के लिये 30 मई 1999 को मण्डलेश्वर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। 10,000 प्रभावितों की इस रैली में प्रदेश/देश के जन-संगठनों, श्रमिक संगठनों ने भाग लिया। बाबा आमटे जी भी इस रैली में लोगों के साथ थे। रैली के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं गीता जीजी के खेत पर 'एस. कुमार्स' द्वारा जबरन डाले गये पत्थरों को हटाने गई तो 450 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।

बाद में 12 जून को पुन: सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुषों ने खेत पर जाकर पत्थरों को हटा ही दिया।

जर्मनी से खबर है कि परियोजना में जो जर्मन कम्पनियां - बेयर्नवर्क तथा वी.ई.डब्लू. एनर्जी - निवेश करने वाली थीं, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं। सीमेन्स, जो इस परियोजना के लिए 20 करोड़ डॉलर मूल्य के यंत्र सप्लाई करने वाली है, जर्मन सरकार को गारंटी के लिए मनाने का प्रयास कर रही है। हमारी अपनी सरकार कम्पनी का साथ दे रही है। जर्मन सरकार शायद यह गारन्टी दे दे। यह भी खबर है कि राष्ट्रीय पनबिजली निगम जर्मन कम्पनियों के अंश खरीद लेगा।

इस दौरान 4 व 5 जुलाई को नर्मदा बचाओ आंदोलन और म.प्र.वि.मं. यूनियन ने संयुक्त रूप से जबलपुर में 'मध्यप्रदेश में बिजली क्षेत्र का निजीकरण' विषय पर एक दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया।

विश्व व्यापार संगठन व वैश्वीकरण के विरोध में मई 20 से जून 21 तक हुए अन्तर-महाद्वीपीय कारवां में नर्मदा का मुद्दा भी उठा। कई सारे जन संगठनों व आंदोलनों ने नर्मदा के संघर्ष व सत्याग्रह का समर्थन किया। इस संघर्ष को वैश्वीकरण की प्रक्रिया व विश्व व्यापार संगठन व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व एजेन्सियों की राजनीति के विरुद्ध एक प्रमुख चुनौती माना गया। संगठनों ने माना कि नर्मदा का मुद्दा किसानों के अधिकारों और संसाधनों का प्रमुख मुद्दा है।

नर्मदा का पानी एक बार फिर आकुल हो गया है। विनाशकारी सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 88 मीटर तक पहुंचने के कारण डूब में जो फैलाव होगा उसका असर 50-60 गांवों के करीब 2500 परिवारों पर होगा। नर्मदा घाटी के लोगों ने 20 जून से जलसिंधी (मध्यप्रदेश) व डोमखेड़ी (महाराष्ट्र) में इस अन्यायपूर्ण डूब व विस्थापन के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। सत्याग्रह के साथ ही देश भर में इस बांध रूपी दैत्य तथा विकास के जिस मॉडल का यह प्रतीक है, दोनों के विरुद्ध गतिविधियां तेज हुई हैं। जन संघर्ष को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

सत्याग्रह का एक माह

1995 से सरदार सरोवर परियोजना का काम लगभग 4 वर्षों तक ठप्प पड़ा था। परन्तु सम्बंधित राज्य सरकारों ने झूठे हलफनामों के जरिए अदालत को गलत जानकारी दी। अदालत ने बांध की ऊंचाई 81.5 मीटर से बढ़ाकर 85 मीटर तक करने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा 3 मीटर कूबड़ों की ऊंचाई है। इसकी वजह से गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र के 50-60 गांवों में लगभग 2500 आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे। हलफनामे में सरकार ने दावा किया है कि सभी प्रभावित लोगों का पुनर्वास कर दिया गया है। यह सफेद झूठ है। अब तो यह असंदिग्ध रूप से साबित हो चुका है कि नर्मदा ट्राइब्यूनल या सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप सारे विस्थापितों के पुनर्स्थापन हेतु जमीन ही नहीं है। इसके अलावा जन आंदोलन की ओर से इस बांध के 'सार्वजनिक हित', लागत, लाभ, सामाजिक-राजनैतिक पक्ष जैसे बुनियादी मुद्दे उठाए गए हैं। सरकार इन सारे मुद्दों को दबाकर लोगों के सामने डूब का आतंक पैदा कर उन्हें भागने को मजबूर करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में लोगों के सामने अपने जीवन, संसाधनों व अधिकारों की रक्षा करना ही एकमात्र रास्ता है।

नर्मदा घाटी के लोगों ने राज्य की इन दमनकारी चालों को चुनौती देने का फैसला किया है। लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वे इस अन्यायपूर्ण डूब और विस्थापन का दृढ़ता का मुकाबला करेंगे। गुजरात सरकार के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में यहां तक संकेत दिया कि लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक उन्हें डूब का डर न दिखाया जाए। गांववासियों ने ऐलान किया कि वे डूब के आतंक के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जलसिंधी में मार्च में हुई बैठक में तय किया कि वे पुनर्स्थापन व ज़मीन की उपलब्धता के बारे में झूठे हलफनामे देने वाली सरकार का सामना करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित इलाके के लगभग समूचे आदिवासी क्षेत्र को डुबाने वाले बांध निर्माण के खिलाफ सत्याग्रह का फैसला लिया गया।

20 जून को सत्याग्रह का प्रारम्भ करते हुए प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक सिद्धराज ढड्ढा ने निर्णय प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण का आव्हान किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए 50 से ज्यादा युवाओं ने युवा शिविर में भाग लिया और विशेषज्ञ आदिवासियों से घर बनाने के हुनर सीखे। उन लोगों ने गांववासियों के साथ बैठकें कीं, विचार-विमर्श किया। 27 जून से 4 जुलाई के दरम्यान जीवन यात्रा में महाराष्ट्र की अक्राणी व अक्कलकुआ तथा मध्यप्रदेश की अलिराजपुर तहसील में कई बैठकें हुईं।

उपवास

4 जुलाई के दिन बाबा महारिया, पंकिया वसावे, रणजीत वसावे, गुलाब भाई अवासिया, मेधा पाटकर, सीताराम भाई पाटीदार, ताराबाई पाटीदार, फिलिप मैथ्यू सहित 9 कार्यकर्त्ताओं ने उपवास शुरू किया। मेधा और सीतारामभाई ने इस दौरान मौन भी रखा। उपवास 11 जुलाई को सम्पन्न हुआ। यह उपवास सरकार की धोखाधड़ी, अन्याय व झूठ के खिलाफ तथा देश भर के लोगों को आव्हान करने के प्रतीक के रूप में किया गया था। यह सरकार को एक चेतावनी भी थी कि संघर्ष को और तीव्र बनाया जाएगा। इससे पहले 1500 लोगों की एक रैली भी आयोजित की गई जहां इन सब लोगों ने धमकियों व डूब के खिलाफ लड़ने की शपथ ली। बाद में आयोजित एक कार्यक्रम में घाटी के प्रतिनिधियों और बाहर से आए समर्थकों ने अवज्ञा व विरोध के प्रतीक के रूप में ज़मीन में तीर गाड़े। उन्होंने घोषणा की, "ये भूमि ज़िन्दा है, यहां के लोग ज़िन्दा हैं।" उन्होंने सच्चा विकास लाने की भी शपथ ली।

इन दिनों पूरे समय जलसिंधी व डोमखेड़ी के लोगों ने सरकारी व पुलिस चौकियों पर प्रदर्शन किए और वहां मौजूद अधिकारियों से

सवाल-जवाब किए। जलसिंधी के सत्याग्रहियों को पता चला कि राज्य सरकार ने उनके गांवों को डूब के नोटिस 27 जून को, अर्थात् मानसून के दौरान जारी किए हैं जब किसी भी क्षण डूब आ सकती है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) से काफी जवाब तलब करने के बावजूद उन्हें अपने बुनियादी सवालों के संतोषदायक उत्तर नहीं मिले। सरकार की सूची में लुवारिया भाई का नाम ही नहीं था जबकि उसका परिवार डूब का सामना करने वाला पहला परिवार होगा। डोमखेड़ी और निमगव्हाण के लोगों ने सरकारी अधिकारियों से पूछा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की जीवन शाला के छात्रों को आगे की कक्षाओं में दाखिला क्यों नहीं मिलता।

बढ़ता समर्थन

देश भर में सैकड़ों समर्थकों और गणमान्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने सत्याग्रह में भाग लिया। नेशनल फिशवर्कर्स फोरम, मजदूर किसान शक्ति संगठन (राजस्थान), स्टुडेन्ट्स क्रिश्चियन मूवमेन्ट, सम्वाद (बैंगलोर), पेन्नुभराई इयक्कम, सेन्टर फॉर सोश्यल एनालिसिस (दोनों मदुरई, तमिलनाडु), समाजवादी जन परिषद्, हिन्द मज़दूर सभा, गिरनी कामगार संघर्ष समिति, नारी समता मंच, अभिव्यक्ति, कोयना जीवन हक्क संघटना, गोसी-खुर्द बांध प्रभावित संघर्ष, कोंकण में प्रदूषण व विस्थापन के विरुद्ध संघर्षरत श्रमिक सहयोग, हॉकर्स संघर्ष समिति, श्रमिक परिषद् तथा जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से सम्बद्ध कई अन्य संगठनों ने सत्याग्रह को समर्थन दिया। समाजवादी चिन्तक व समाजवादी जन परिषद के अध्यक्ष किशन पटनायक, भाई वैद्य, हिन्द मज़दूर सभा के सूर्यकान्त बागल, गिरनी कामगार संघर्ष समिति के दत्ता इस्वालकर, किसान आदिवासी संगठन (केसला) के सुनील, मज़दूर किसान शक्ति संगठन की अरुणा रॉय, जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय संयोजक प्रो. संजय मं.गो. आदि ने सत्याग्रह में प्रमुख रूप से भाग लिया। टाटा समाज विज्ञान संस्थान (मुम्बई) के छात्र काफी समय से नर्मदा के संघर्ष से जुड़े रहे हैं। इन छात्रों ने काफी जोश के साथ सत्याग्रह में भाग लिया। मालेगांव, उदगिर, बैंगलोर एवं अन्य जगहों के छात्र भी बड़ी संख्या में आए।

फ्रांस व स्पेन के कान्फेडरेशन डी पेसन्स (कृषक संगठन), यूरोप के बेरोजगार संगठन, प्ले फेयर-यूरोप, ब्राज़ील के मूवमेन्ट फॉर लैण्ड राइट्स, नार्वे, जर्मनी आदि के छात्र समूहों, विश्व व्यापार संगठन तथा वैश्वीकरण के विरुद्ध संघर्षरत आंदोलनों ने भी सत्याग्रह के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। पेरू, चिली, ग्वाटेमाला, अर्जेन्टाइना के संगठनों तथा मेक्सिको के जैपारिस्टा प्रतिरोध आंदोलन ने भी नर्मदा घाटी के संघर्ष को अपना समर्थन दिया है।

समर्थन में कार्यक्रम

12 जुलाई के दिन देश भर के सैकड़ों लोगों ने एक दिन का उपवास किया और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे समर्थन कार्यक्रम दिल्ली, मुम्बई, जयपुर, कलकत्ता, तिरुअनंतपुरम्, बैंगलोर, मदुरई, वाराणसी, बड़वानी, धुले, नंदुरबार, शिरपुर, शिंदाखेड़ा, पुणे आदि स्थानों पर हुए। यू.एस. में भी मैरीलैण्ड विश्वविद्यालय के छात्रों ने नर्मदा संघर्ष के समर्थन में कैण्डल लाइट विजिल का आयोजन किया। 19 जुलाई को भी मदुरई, बैंगलोर और अन्यत्र कई कार्यक्रम हुए।

तिरुअनंतपुरम्, तिरुवला तथा अर्नाकुलम में छात्रों तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपवास किया। अर्नाकुलम में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने भी इसमें भाग लिया। कोज़ीकोड व त्रिसुर में भी बैठकें आयोजित की गई। त्रिवेन्द्रम में विख्यात राजनैतिक कार्यकर्त्ता के.वी. सुरेन्द्रनाथ तथा प्रख्यात साहित्यकार व केरल महिला आयोग की अध्यक्ष सुगत कुमारी ने बैठकों को सम्बोधित किया। विश्व फिशरीज़ संगठन के अध्यक्ष थॉमस कोचरी ने नर्मदा घाटी से लौटे कार्यकर्त्ताओं का स्वागत किया।

तमिलनाडु में मदुरई, नागर कोइल तथा कोयम्बटूर में सत्याग्रह के समर्थन में कार्यक्रम हुए। मदुरई में विभिन्न संगठनों के युवाओं ने एक दिन का धरना व उपवास किया। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों पर विडियो कार्यक्रम आयोजित किए।

कलकत्ता में 17 संगठनों के करीब 200 कार्यकर्त्ताओं ने भारी बारिश में सियालदह स्टेशन पर धरना देकर उपवास किया। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा तीन मुख्यमंत्रियों को घाटी में आसन्न संकट के सम्बंध में ज्ञापन भेजकर बांध का काम पूरी तरह रोकने की ज़रूरत बताई। दिल्ली में संगठनों ने धरना व उपवास किया। समाजवादी विचारक सुरेन्द्र मोहन, स्वामी अग्निवेश और प्रख्यात चित्रकार विवन सुन्दरम् ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

मुम्बई के समर्थक संगठनों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। पुणे में संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक दिन का उपवास किया और बच्चों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखे। बच्चों ने अपने पत्र में राष्ट्रपति से अपील की कि वे 'आने वाली पीढ़ियों के लिए नर्मदा घाटी को बचाएं'।

मालेगांव में कई संगठनों ने धरना व उपवास किया। डॉ. संजय जोशी ने अपना पांच दिन का उपवास 12 जुलाई को समाप्त किया। महाराष्ट्र के डूब क्षेत्र के जिला मुख्यालय नंदुरबार में 'पुनर्वसन संघर्ष समिति' तथा अन्य संगठनों ने रैली निकाली। पुनर्वसन संघर्ष समिति उन लोगों की संगठन है जो घाटी में पहले ही विस्थापित हो चुके हैं।

राजस्थान में जयपुर में सर्व सेवा संघ, मज़दूर किसान शक्ति संगठन तथा अन्य कई संगठनों ने दिन भर का धरना किया तथा उपवास रखा। संगठनों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। नर्मदा घाटी के शहरों में लोग डूब व विस्थापन के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। बड़वानी में एक हज़ार लोगों ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि इस वर्ष की डूब में निमाड़ के छः गांव भी डूबेंगे।

इसी तरह का विरोध प्रदर्शन मनावर में भी हुआ जहां मान व वेदा परियोजनाओं के प्रभावित लोगों ने सरदार सरोवर प्रभावित लोगों के साथ प्रदर्शन किए। महेश्वर बांध प्रभावित लोगों ने महेश्वर में रैली निकालकर बांध को रोकने की मांग की।

विदेशों में भी प्रदर्शन हुए। मिशिगन में एन एर्बॉर में एसोसिएशन फॉर इण्डियाज़ डेवलपमेन्ट के वालन्टियर्स ने मिशिगन विश्वविद्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 'कैण्डल लाइट

विजिल' का आयोजन किया। यू.एस. के डैलास व वाशिंग्टन शहरों में एसोसिएशन के वालंटियर्स ने सत्याग्रह के समर्थन में एक दिन का उपवास रखा। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के राष्ट्रपति से एक अपील पर हस्ताक्षर भी एकत्रित किए। उन्होंने भारतीय दूतावास से सम्पर्क करके उसे अपनी चिन्ता से अवगत कराया। कनाडा में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम हुए।

विख्यात अर्थशास्त्री के.एन.राज, प्रसिद्ध पर्यावरणवादी व सांसद के.वी. सुरेन्द्रनाथ, जाने माने वास्तुविद् लॉरी बेकर, साहित्यकार ओ.एन.वी. कुरुप, अय्यण पणिकर, सुगत कुमारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए हस्तक्षेप करें। एक संयुक्त पत्र में इन लोगों ने राष्ट्रपति से अपील की है कि आदिवासियों का संरक्षण करने के अपने संवैधानिक दायित्व के अन्तर्गत वे विकास के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, उसे रोकें। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य प्रमुख व्यक्ति हैं एम.वी. माधवन कुट्टी (पत्रकार), ए.पी. उदयभानु (गांधीवादी), हृदयकुमारी (लेखिका व प्राध्यापक), गुप्तन नायर, विष्णु नारायण नम्बूदिरी (कवि) तथा डॉ. शारदामणी (अर्थशास्त्री)।

मुम्बई के विभिन्न महाविद्यालयों के करीब 40 विद्यार्थियों ने 19 जुलाई को दादर से चर्चगेट तक प्रभावशाली 'नर्मदा समर्थन यात्रा' का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि महाराष्ट्र सरकार अपनी भूल स्वीकार करे तथा हालात बदलने के लिए कदम उठाए। उन्होंने मांग की कि महाराष्ट्र सरकार बांध स्लूइस खुलवाए, जिन लोगों के घर व खेत डूबे हैं उन्हें मुआवज़ा दे और सरदार सरोवर परियोजना व आदिवासियों के विस्थापन सम्बंधी अपने नज़रिए व रवैये को बदले। छात्रों ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की तथा पुनर्वास मंत्री से चर्चा भी की। स्टूडेन्ट्स एक्शन कमिटी फॉर नर्मदा के बैनर तले आयोजित इस अनोखी यात्रा में टाटा समाज विज्ञान संस्थान, सोफिया कॉलेज, निर्मला निकेतन, आई.आई.टी., के.सी. कॉलेज, सेन्ट ज़ेवियर्स कॉलेज तथा युवा के छात्रों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिवस

3 अगस्त को सत्याग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दिवस के रूप में मनाया गया। दुनिया भर में कई समूहों-संगठनों ने इस दिन सत्याग्रह के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किए।

जल समर्पण - बुनियादी मुद्दे

11 जुलाई के दिन मेधा पाटकर ने घोषणा की कि एक नया ट्राइब्यूनल गठित करके बांध की समग्र समीक्षा का निर्णय किए बगैर और जन सुनवाई के बगैर और अब तक जलाशय, नहर, कॉलोनी व अभयारण्य के कारण विस्थापित हो चुके लोगों का पूरा पुनर्स्थापन किए बगैर यदि बांध निर्माण का काम 88 मीटर के वर्तमान स्तर से आगे ले जाया जाएगा तो वे तथा समर्पित दल के अन्य सदस्य जल समर्पण का कदम उठाएंगे।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस देश की राजनैतिक व न्यायिक प्रक्रिया में दलित, आदिवासियों के अधिकारों तथा उनके संघर्ष से उभरे मुद्दों को स्थान देना ही होगा। उन्होंने यह भी मांग की कि भारत की अदालतें ऐसी परियोजनाओं व उनके 'सार्वजनिक हित' के दावों पर सवाल उठाएं जो वास्तव में सम्पन्न वर्ग के निहित स्वार्थों की ही पूर्ति करती हैं। इन परियोजनाओं में मनगढ़न्त लागत-लाभ गणनाओं का सहारा लेकर लोगों के संवैधानिक, प्रजातांत्रिक व मानव अधिकारों का खुले आम उल्लंघन किया जाता है।

नर्मदा घाटी के सरदार सरोवर प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों स्त्री-पुरुष डूब व विस्थापन के खिलाफ अपना संकल्प व्यक्त करने डोमखेड़ी में इकट्ठा हुए। उपवास पर बैठे सात कार्यकर्त्ताओं ने डोमखेड़ी में तथा दो कार्यकर्त्ताओं ने जलसिंधी में अपना उपवास समाप्त किया। इसके बाद गांववासियों और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्त्ताओं ने नजदीकी खाड नदी के इर्द-गिर्द मानव श्रंखला बनाकर नदी की रक्षा करने का संकल्प व्यक्त किया। बांध व विस्थापन के विरुद्ध नारे लगाते हुए लोगों ने, खासकर युवा लोगों ने बहुत जोश से सरदार सरोवर के एक प्रतीक को ढहा दिया।

इस अवसर पर मेधा पाटकर ने कहा कि आसन्न डूब नर्मदा ट्रायब्यूनल का तथा स्वयं अदालत के आदेशों का उल्लंघन होगा क्योंकि पुनर्स्थापन के लिए ज़मीन है ही नहीं। उन्होंने दलित वर्ग के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में न्यायिक प्रक्रिया से सम्बंधित कई मौजूं सवाल उठाए।

1. क्या सर्वोच्च न्यायालय के लिए सम्भव नहीं है कि वह परियोजना के सम्बंध में आदिवासी किसानों द्वारा उठाए गए सारे मुद्दों की छानबीन करे?

2. क्या यह ज़रूरी नहीं है कि अदालतें राजसत्ता और आम, दलित वर्गों के बीच विवाद के मामले में स्वतंत्र रूप से सच्चाई जानने का कोई नया तरीका खोजें और न्याय करें।

3. क्या न्यायालय पीड़ित लोगों, आम जनता तथा जन संगठनों को उनके अपने स्थानों पर ही शामिल करते हुए ऐसे मुद्दों की जन सुनवाई नहीं कर सकता जो सैकड़ों-हज़ारों लोगों को प्रभावित करते हैं? न्यायपालिका की ब्रिटिश विरासत को लोगों के हक में बदला क्यों नहीं जा सकता?

4. क्या यह सही नहीं होगा कि जीवन व प्रकृति का बड़े पैमाने पर विनाश करने वाली नर्मदा जैसी परियोजनाओं के संदर्भ में न्यायिक प्रक्रिया परियोजना को रोककर चलाई जाए ताकि विनाश को टाला जा सके?

5. क्या न्यायालय के लिए ऐसा आदेश देना उचित है जो संविधान, कानून तथा स्वयं न्यायालय के पूर्व आदेश का उल्लंघन करे और राजसत्ता को लोगों के संगठनों व उनकी भावनाओं व विचारों का दमन करने व उन पर हावी होने का अधिकार दे और सत्ता को और अत्याचारी बनाने में मदद करे?

6. यदि कोर्ट को संविधान, कानून और स्वयं अपने पूर्व आदेश के उल्लंघन का पता चलता है और न्यायालय यह समझ लेता है कि उसके आदेश से घोर अन्याय हुआ है तो क्या न्यायालय अन्याय की वजह (मसलन स.स.प. के मामले में 81.5 मीटर से 88 मीटर के बीच का निर्माण) को ढहाने के लिए नया आदेश नहीं निकाल सकता? या क्या कोई अन्य रास्ता (81.5 मीटर के ऊपर के निर्माण के संदर्भ में) नहीं निकाल सकता ताकि अपने पहले आदेश के प्रभाव को रोक सके?

7. क्यों इस देश का सर्वोच्च न्यायालय 'सार्वजनिक हित' के नाम

पर ऐसी परियोजनाओं के प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती नहीं दे सकता जो मात्र राजनैतिक स्वार्थों तथा समाज के मुट्ठी भर लोगों के उपभोग हेतु बनाई जाती है?

उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है क्योंकि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा उनका संवैधानिक दायित्व है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्याय की इन्तहा होने पर जल समर्पण का फैसला हताशा, थकान या हार का द्योतक नहीं है। यह संघर्ष से पलायन का मार्ग भी नहीं है। यह चुनौती को स्वीकार करके उसका प्रत्युत्तर होगा। यह स्थिति न आए तो हमें भी जीना है उत्कटता और सुन्दरता के साथ। इस देश में शोषण व पीड़ा से मुक्त लोकराज लाना है। जातिवाद, धर्मवाद, युद्ध खोरी से निपटना है। आदिवासियों, दलितों, भूमिहीनों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के जीवन व संसाधनों पर अधिकार के लिए काम करने की चुनौती है। इस काम के लिए ज़रूरी होगा एक अनोखा समर्पण। जल समर्पण नहीं जन समर्पण।

नोटिस

इधर एक ओर मध्यप्रदेश की अलिराजपुर तहसील के जलसिंधी, आंकड़िया, अम्बा, सकरजा आदि गांव, जहां इस मानसून में डूब आने को है, में सत्याग्रह जारी था और दूसरी ओर 28 जून अर्थात् मानसून के दौरान उन्हें डूब के पहले नोटिस मिले। नोटिसों में गांववासियों को चेतावनी दी गई है कि डूब के पानी का स्तर 113 मीटर से ज़्यादा होगा। सरकार ने लोगों को डूब व उसके परिमाण की सूचना देने तक की चिन्ता नहीं की जबकि यह सूचना बहुत पहले दी जानी चाहिए थी। और सूचना तो तब दी गई है जब सरकार के ही मुताबिक 'सारे लोगों का पुनर्वास हो चुका है।' इस मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने नर्मदा ट्रायब्यूनल तथा सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्वास सम्बंधी आदेश का उल्लंघन किया है। इससे एक बार फिर साफ हो गया है कि 1999 मानसून में आने वाली डूब से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्स्थापन के लिए सरकार के पास ज़मीन नहीं थी। उक्त नोटिसों में यह बताने की जिम्मेदारी तक पूरी नहीं की गई कि कौन से घर डूब में आएंगे। नोटिस में यह भी नहीं बताया गया था कि कितने या किस-किसके घर प्रभावित होंगे। सरकार की इस घोर असफलता से त्रस्त होकर लोगों ने 1 जुलाई को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के शिविर के सामने प्रदर्शन किया और वहां मौजूद अधिकारियों से जवाब तलब किया। परिणाम स्वरूप शिविर अधिकारियों ने 4 जुलाई को जलसिंधी में डूब की एक तदर्थ योजना गांववासियों को सौंपी। इसमें इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि खेत कितने डूबेंगे। अधिकारियों ने मानसून के दौरान डूब में आने वाले मकानों तक की गलत जानकारी दी थी। सुगत, ककराना आदि अन्य गांवों के लोग या तो अन्यत्र जा चुके हैं या अस्तित्व में ही नहीं!

नं.ब.आं. व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने 10 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नारायण राणे से भेंट करके मांग की कि महाराष्ट्र सरकार अगली सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्वास व पुनर्स्थापन के संदर्भ में हकीकत पेश करे। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के हितों तथा अपने आदिवासियों के जीवन व संसाधनों की कीमत पर गुजरात सरकार का अंधा समर्थन बन्द करे। मध्यप्रदेश सरकार की ही तरह महाराष्ट्र सरकार को भी नर्मदा ट्रायब्यूनल की समीक्षा की मांग करनी चाहिए तथा बांध पर काम आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए।

शूलपाणेश्वर अभयारण्य प्रभावितों की रैली

सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत एक अभयारण्य बनाने (दरअसल मौजूदा शूलपाणेश्वर अभयारण्य को विस्तार देने) की भी योजना है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि परियोजना में डूबने वाले जंगल की और वन्य जीवों के डूबते आवास स्थलों की भरपाई हो सके। इस अभयारण्य में 104 गांव स्थित हैं। इन गांवों के लोगों पर इसका असर भयावह होगा क्योंकि जिस जंगल में और जिसके आधार पर ये सदियों से जीते आए हैं, वह इनसे छिन जाएगा। इन गांवों के लोगों को यह असर महसूस होना शुरू भी हो चुका है। अब तक परियोजना अधिकारी कहते रहे कि कोई भौतिक विस्थापन नहीं होगा, सिर्फ 'स्वैच्छिक पुनर्स्थापन' किया जाएगा। परन्तु लोगों पर कई तरह के कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे, उनकी सारी बकरियां हटा दी गई हैं जबकि तथ्य यह है कि बकरियां उनकी अर्थव्यवस्था व संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन पिछले कुछ समय से अभयारण्य प्रभावित लोगों से सम्पर्क में है। 1 जुलाई 1999 के दिन करीब 400 लोगों ने एकत्रित होकर तालुका मुख्यालय डेडियापाड़ा (ज़िला नर्मदा) में प्रस्तावित विस्थापन व संसाधन वंचना के विरुद्ध रैली निकाली। बाद में लोगों ने दो घण्टे तक वन अधिकारियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की। वन अधिकारियों ने जल्द से जल्द जवाब देने का आश्वासन दिया है। इस इलाके के लोग अब लड़ाई के लिए तैयार हैं।

गाद में फंसकर लता वसावे की मृत्यु

डोमखेड़ी गांव की एक सात वर्षीय बच्ची लता वसावे 7 जुलाई को अपनी जान से हाथ धो बैठी। वह नदी किनारे की गाद में फंस गई थी। सरदार सरोवर बांध में पानी भरने की वजह से कई गांवों के आसपास गाद जमा होती जा रही है हालांकि लोग अभी वहां बसे हुए हैं।

जीवनशाला की छात्रा लता पानी लाने नदी किनारे गई थी। वह नर्मदा की एक सहायक खाड नदी के किनारे जमा दलदली गाद में फंस गई। यह गाद लगभग 10 फुट गहरी है। इस दलदल में से निकल पाना उसके लिए असम्भव था। जब तक सत्याग्रह शिविर में इस बात की खबर लगती, तब तक लता उस दलदल में धंस चुकी थी।

साझा संघर्ष की तैयारी:

निजीकरण एवं विशेषत: ऊर्जा के क्षेत्र में आ रहे निजीकरण के खिलाफ 4 एवं 5 जुलाई को जबलपुर में 'मध्यप्रदेश में बिजली क्षेत्र का निजीकरण' विषय पर एक संगोष्ठी का सफल आयोजन

हुआ। इस संगोष्ठी का आयोजन नर्मदा बचाओ आंदोलन, म.प्र. विद्युत मण्डल जनता युनियन, जबलपुर पत्रकार संघ एवं ट्रेड युनियन काउन्सिल के संयुक्त तत्वावधान में हुआ।

इसके बाद 10 एवं 11 जुलाई को भोपाल में निजीकरण एवं वैश्वीकरण के खिलाफ जन-संगठनों, श्रमिक संगठनों द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपरोक्त प्रक्रिया में शामिल सभी ने 9 अगस्त 'भारत-छोड़ो क्रांति दिवस' पर भोपाल में प्रभावशाली प्रदर्शन कर संयुक्त संघर्ष का ऐलान किया।

क्रांति दिवस के अवसर पर एकता परिषद्, किसान आदिवासी संगठन, श्रमिक आदिवासी संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा, खेत एवं वन मजदूर यूनियन, ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (म.प्र.), ऑल इण्डिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन, हिन्द मजदूर सभा, हिन्द मजदूर किसान पंचायत, केन्द्रीय कर्मचारी पेंशनर्स संघ, हम्माल मजदूर यूनियन, ऑल इण्डिया यूथ फेडरेशन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आदिवासी मुक्ति संगठन, प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय महिला फेडरेशन, भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन, म.प्र. निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा, लोक चेतना गठन तथा खेडूत मजदूर चेतना संगठन ने राज्यपाल को एक संयुक्त ज्ञापन भी दिया।

इन सभी संगोष्ठियों व कार्यक्रमों में निजीकरण को हटाने एवं महेश्वर परियोजना रद्द करने की स्पष्ट मांग की गई।

प्रतिष्ठा में,

महामहिम राज्यपाल महोदय,

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय: नव उपनिवेशवादी भूमडलीकरण से देश को बचाने के लिए एवं जन मुद्दों के समर्थन में जन संगठनों, श्रमिक संगठनों तथा संस्कृतिक कर्मियों का क्रांति दिवस 9 अगस्त 99 को भोपाल में प्रदर्शन उपरांत ज्ञापन।

माननीय महोदय,

साम्राज्यवादी ताकतें नये तरीके से दुनिया पर कब्जा करना चाह रही हैं। भूमडलीकरण ही इस नये तरीके का नाम है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि पूंजीवादी देश विश्व बैंक, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिये भारत जैसे पर नव स्वतंत्र देशों के बाजार पर कब्जा जमा रहे हैं। ये दुनिया के साहूकार विकासशील देशों को कर्ज में जकड़ कर पहले आर्थिक रूप से गुलाम बना रहे हैं और फिर उदारीकरण निजीकरण, ढांचागत परिवर्तन, निर्यातमुखी, अर्थनीति आदि के माध्यम से विकासशील देशों की पूंजी, टेक्नालॉजी, प्राकृतिक संसाधनों, हथियारों तथा संचार माध्यमों पर एकाधिकार शामिल करके राजनैतिक रूप से भी हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। वर्तमान सरकार की अनेक जनविरोधी नीतियां व कार्यवाहियां भूमंडलीकरण का ही परिणाम हैं।

इसलिये प्रदेश के विभिन्न जन संगठनों, श्रमिक संगठनों तथा रचनात्मक सांस्कृतिक संगठनों ने भोपाल में सम्पन्न 10-11 जुलाई की गोष्ठी में भावी रणनीतिक कार्य योजना तय की गई है। पहले कदम के रूप में क्रांति दिवस 9 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन कर भूमंडलीकरण के विरुद्ध तथा प्रदेश के निम्नलिखित जन मुद्दों पर एक ज्ञापन समुचित कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

1. ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी पूंजी के प्रवेश पर रोक लगायी जाये तथा म.प्र. वि. मण्डल के विखण्डन की प्रक्रिया को रद किया जाये। बिजली दरों में की गई वृद्धि वापस ली जाये।
2. महेश्वर जैसी परियोजना जो विस्थापन की समस्या को हल नहीं कर सकती और जिसका लाभ हानि का मूल्यांकन करने पर हानि की मात्रा ही ज्यादा दिखती है, ऐसी परियोजनाओं को रद किया जाये।
3. प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही बानिकी परियोजना जिससे हजारों आदिवासी परिवारों का विस्थापन हो रहा है तथा उनके अधिकारों का क्रूर एवं अमानवीय तरीके से हनन हो रहा है उन्हें भी रद किया जाये।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण तथा बीमार उद्योगों को बन्द करने की कार्रवाई समाप्त की जाये।
5. प्रदेश में भूमिहीन मजदूरों को भूमि वितरित की जाये तथा कब्जे वालों को पट्टा दिया जाये। हर वर्ष प्रदेश से लाखों भूमिहीन मजदूर अन्य प्रदेशों में मजदूरी हेतु पलायन करते हैं और उनका अमानवीय शोषण होता है। ऐसे आप्रवासी मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार व जीवन सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाये।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग खोले जायें तथा ऐसे उद्योगों में रोजगार हेतु ग्रामीम बेरोजगार युवाओं को आई.टी.आई. द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था ग्रामीण इलाकों में की जाये।
7. किसानों को खेती के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, सिंचाई पानी, बिजली आदि सस्ते दामों पर उपलब्ध करायी जायें तथा पूर्व में कृषि क्षेत्र के लिये दिये गये अनुदान की कटौती न की जाये। साथ ही कृषि उपज की लाभकारी कीमत तय की जाये।
8. मुक्त बाजार व्यवस्था में महिलाओं तथा बच्चों पर अत्याचार तथा उनका आर्थिक शोषण, दैहिक शोषण तेजी से बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए शासन द्वारा सख्त कदम उठाये जायें।
9. भोपाल गैस पीड़ितों को समुचित पुनर्वास, रोजगार तथा आजीवन नि:शुल्क इलाज की गारंटी दी जाये। इस त्रासदीपूर्ण औद्योगिक हादसे के सभी अभियुक्तों को कठोर सजा दी जाये।
10. प्रदेश के निराश्रित पेंशन भोगियों को दी जा रही पेंशन दर में समुचित वृद्धि की जाये।
11. आदिवासी क्षेत्रों में लघुवनोपज तथा जल-जंगल-जमीन पर आदिवासियों का पूर्ण स्वामित्व बहाल किया जाये।
12. देश में जो वस्तुयें उत्पादित हो रही हैं और हो सकती हैं उसका विदेशों से आयात न किया जाये।
13. इलेक्ट्रानिक व प्रिण्ट मीडिया द्वारा फैलाये जा रहे सांस्कृतिक प्रदूषण पर रोक लगाई जाये।
14. भूमण्डलीकरण के दुष्प्रभाव से देश को बचाने के लिये भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन से अपना नाता तोड़े।
15. प्रदेश के समस्त ठेका श्रमिकों का शोषण रोकने, न्यूनतम वेतन अधिनियम एवं ठेका मजदूरी (समापन एवं नियमन) अधिनियम 1970 के पालन हेतु तत्काल समुचित कार्रवाई की जाये।

आप आन्दोलन में कई तरह की भूमिकाएं निभा सकते हैं।

अपने-अपने इलाके में कार्यक्रम कीजिए - सेमीनार, बैठक, सार्वजनिक सभाएं, चित्रकारी, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शन, धरना, हस्ताक्षर अभियान वगैरह।

नर्मदा के मुद्दे पर लिखिए। सत्याग्रह व सरकारी प्रत्युत्तर को मुद्दा बनाइए।

नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए धन व अन्य मदद जुटाइए। धन 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' के नाम पर लोक समिति, साने गुरूजी रुग्णालय, कैम्प, मालेगांव, जिला नासिक के पते पर या नीरा अडारकर, 601 बिल्डेज बिल्डिंग, वीर सावरकर मार्ग, माहीम, मुम्बई 400016 के पते पर भेज सकते हैं।

इस वर्ष की डूब पूरे आदिवासी क्षेत्र को लील सकती है। घर, फसलें, जीविका के साधन नष्ट हो जाएंगे। क्या हम अपने साथियों की इस संकट में मदद करेंगे? कैसे? इस बारे में सोचकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यालयों से सम्पर्क करें।

सम्पर्क

बड़ौदा - फोन 0265- 382232

ई मेल nba@Wbdg.lwbbs.net.in

बड़वानी - 57 गांधी मार्ग, बड़वानी 451551

फोन - 07290 - 22464

PRINTED MATTER

नर्मदा बचाओ

मानव बचाओ

संपादन : नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति, 57, महात्मा गांधी मार्ग बड़वानी - 451 551